



कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन विभाग) जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/367/लोसेप्र/उत्तरा/2015.

सिंगरौली, दिनांक.11.8.15

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत देवसर/चितरंगी/बैठन
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

विषय:- संवाद कार्यक्रम में उत्तरा को पाचवें स्तंभ के रूप में जोड़े जाने के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिले में संचालित ग्राम अनुश्रवण संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत चार मुख्य स्तंभ युवा, प्रगति, प्रहरी, एवं हितम पर कार्य किया जा रहा है उक्त के साथ साथ अब पाचवें स्तंभ उत्तरा को भी ग्राम अनुश्रवण संवाद कार्यक्रम में जोड़ा जा रहा है।

उत्तरा अंतर्गत ग्राम संवाद कार्यक्रम में प्राप्त होने वाले समस्त आवेदनों को संबंधित ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक उत्तरा में तैयार किये गये पंचायत कार्यालय के अपने आई डी के माध्यम से इंद्राज करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही आवेदन पर की गई कार्यवाही का इंद्राज भी उक्त आईडी पर करेंगे जिससे संबंधित आवेदक को आवेदन पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जा सके।

उपरोक्तानुसार आप समस्त ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक को उक्त के संबंध में अवगत कराते हुये आगामी संवाद कार्यक्रम के पूर्व उक्त कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(शशांक मिश्र)

कलेक्टर

✓ जिला सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली दिनांक.11.8.15

पृ. क्रमांक/268/लोसेप्र/उत्तरा/2015.

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिंगरौली/देवसर/चितरंगी की ओर।
4. ~~समस्त~~ जिला अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त तहसीलदार तहसील चितरंगी/देवसर/सिंगरौली/माडा एवं सरई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

✓ जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

संवाद (SAMVAD)

Systematic Active Meetings in villages to Aid Development :-

संवाद कार्यक्रम लोक अनुश्रवण के लिये एक प्रयास है। जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत में माह में एक बार पूर्व सूचना अनुसार नियत तिथि व स्थान पर ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सभी महत्वपूर्ण सरोकारों, प्रदाय की जा रही सेवाओं, उनका क्रियान्वयन एवं क्या सुधार अपेक्षित है आदि विषयों पर बिन्दुवार चर्चा कर अनुश्रवण शासकीय सेवकों के समक्ष किया जाता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है कि, संवाद के स्थान/समय का पूर्व से नियत होना, सभी को इसकी सूचना होना तथा सभी विभागों के प्रतिनिधियों का उपस्थित होना व कार्यवाही का लिपिबद्ध किया जाना। ग्राम सभा का आयोजन की चाबी सरपंच/सचिव/कलेक्टर के हाथ से हटाकर समय के हाथ में दिये जाने का प्रयास है, ताकि आयोजन का प्रचार प्रसार सरल हो। जिले के अगल-2 सेक्टर के लिये माह का साप्ताहिक दिन के मान से दिन निर्धारित किया जाता है, जैसे जिस सेक्टर में महीने के प्रथम बुधवार को आयोजन होता है, वहां हर माह महीने के प्रथम बुधवार को ही आयोजन किया जाता है। संवाद के पांच महत्वपूर्ण घटक (Component) हैं, जिन्हें हम संवाद के चार स्तम्भ (Pillars) भी कह सकते हैं।

1. प्रगति (PRAGATI) PROJECT REVIEW ANALYSIS GUIDANCE AND TRACKING INITIATIVE :-

सामुदायिक एवं भागीदारी से निर्णयन, क्रियान्वयन व अनुश्रवण संवाद का मूल है। प्रगति से आशय किसी भी ग्राम पंचायत में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे या किये गये निर्माण कार्य का सामाजिक अंकेक्षण तथा भविष्य में क्या निर्माण प्राथमिकता पर होना चाहिए की समेकित समीक्षा व अनुश्रवण से है। ग्राम पंचायत में कौन-कौन से कार्य प्रचलित हैं? पूर्व से स्वीकृत अधूरे निर्माण कार्य, कार्य की गुणवत्ता जैसे बिन्दुओं पर अनुश्रवण किया जाना है। प्रगति के बिन्दु पर अनुश्रवण करने के पूर्व यह आवश्यक है कि संवाद के दौरान प्रगति प्रारूप में विभागवार ग्राम में प्रचलित कार्यों की संपूर्ण जानकारी रखी जावे। इस हेतु पंचायतवार निर्माण कार्यों की संपूर्ण जानकारी का रजिस्टर संधारित किया जाना आवश्यक है। रजिस्टर संधारण का नोडल ग्राम सचिव होगा। परन्तु सभी निर्माण संबंधी जानकारी भरने का दायित्व निर्माण एजेंसी विभागों का होगा जो प्रमाणीकरण के साथ निर्मित, निर्माणाधीन व प्रस्तावित निर्माण की सारी जानकारी रखे। पिछले कुछ सालों में गांव में काफी निर्माण कार्य हुये हैं। जो विभिन्न विभागों द्वारा किये गये हैं तथा पंचायत उन सबका उपयोगकर्ता है। ऐसी दशा में आज की तारीख में कोई ऐसी समेकित जानकारी हमें नहीं मिलती जिससे निर्माण संबंधी कोई समीक्षा की जा सके। यदि प्रगति रजिस्टर अद्यतन रहा तो यह सार्थक होगा। यह हमें एक जगह सभी जानकारी उपलब्ध करायेगा, हम ये जान सकेंगे कि निर्माण एजेंसी कौन थी? तकनीकी स्वीकृति/प्रशासनिक स्वीकृति क्या थी? समय सीमा क्या थी? सी.सी. जारी हुआ या नहीं? कब तक की गारंटी है। (PMGSY), निर्माण कार्य में एकजिट प्रोटोकाल का पालन हुआ या नहीं? यह जिम्मेदारीपरक (Accountable) और पारदर्शी (Transparent) तंत्र के लिये आवश्यक है। क्योंकि अभी निर्माण कार्य की समीक्षा व अनुश्रवण में भी हमारी (Approach) प्रतिक्रियात्मक है यानि जब कोई निर्माण कार्य की शिकायत करता है तब जांच प्रारंभ होती है। यह तंत्र (System) को पारदर्शी बनायेगा और जिम्मेदार भी।

प्रगति का दूसरा पहलू यह है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य कौन से कार्य आवश्यक हैं उनकी प्राथमिकता का प्रमाणीकरण ग्राम सभा से कराया जाना और उसे कार्ययोजना में शामिल करना। (NREGS) व अन्य कई योजनाओं में (Shelf of Project) का प्रावधान पूर्व से है, प्रगति उसको मूर्त रूप देगा। इस प्रकार सामूहिक निर्णयन, सामाजिक अंकेक्षण एवं (Participative Review) हो पायेगा। प्राथमिकता सूची का समुचित संधारण सच्चे अर्थों में गांव के लोगों की मंशा व जरूरत के हिसाब से विकास कार्य किये जाने की दिशा में एक प्रामाणिक कदम होगा।

प्रगति (PRAGATI) PROJECT REVIEW ANALYSIS GUIDANCE AND TRACKING INITIATIVE के रूप में है। संपूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूप में Geotagged photos के साथ dwatch.nic.in पर upload करने का भी निर्धारण किया गया है ताकि हर स्तर पर किये गये अनुश्रवण एवं सामाजिक प्रतिक्रिया एकत्रित कर समेकित रूप से प्रदर्शित हो सके।

02. हितम (HITAM-Hitgrahi Tracking And Management)

प्रगति जहां निर्माण कार्यों का अनुश्रवण है, वहीं किसी हितग्राहीमूलक योजना के मापदंड में पात्र या अपात्र है, उस दिशा में और उससे आगे उसे वह अपेक्षित लाभ प्राप्त हो रहा है, यह हितम पंजी से सुनिश्चित होता है। वस्तुतः यदि हितम पंजी में सारे आंकड़े सही तरह से भरे जावें, हितम का वाचन, संवाद के दौरान किया जावे तो हम प्रत्येक योजना में प्रत्येक व्यक्ति की पात्रता, अपात्रता का आंकलन कर पायेंगे।

हितम पंजी में जो जानकारी संधारित की जानी है वह कई विभागों से संबंधित है, ग्राम पंचायत का सचिव हितम के संधारण का नोडल आफिसर है। प्रारंभिक स्तर पर डाटा की सही इन्ट्री एक चुनौती है। इसके लिये विभिन्न विभागों का समन्वय आवश्यक होगा। खासकर पटवारी, कृषि विभाग आरएओ, शिक्षा विभाग, आंगनवाडी कार्यकर्ता, एएनएम, इस संबंध में हितम पंजी में वर्णित समस्त योजनाओं के विभागों के फील्ड स्टाफ को सीएफटी (समूह आधारित सुविधा दल) में बैठक आयोजित कर अभियान रूप में हितम पंजी को अपडेट कराना होगा। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि हितम पंजी में गलत डाटा इन्ट्री हुआ तो हम अपने मूल प्रयोजन में सफल नहीं हो पायेंगे। यह आवश्यक है कि हितम पंजी की सारी जानकारी प्रामाणिक हो। जिस तरह खसरे में शुद्ध व अद्यतन प्रविष्टि होनी चाहिए। वैसे ही हितम में भी और इसके लिये जिस विभाग से संबंधित प्रविष्टि है उसका प्रमाणीकरण पंजी के अंत में एक प्रमाण पत्र लेकर करने पर विचार किया जा सकता है। इससे प्रत्येक प्रविष्टि का दायित्व निर्धारित होगा। केवल सचिव के विवेक के आधार पर प्रविष्टि नहीं होगी। यद्यपि प्रारंभ में हितम पंजी का Updation एक बड़ा काम है परन्तु एक बार यह कार्य हो जाने के उपरांत हमें जो परिणाम प्राप्त होंगे वह महत्वपूर्ण होंगे। किसी भी ग्राम पंचायत के समस्त आंकड़े मूर्त रूप में समक्ष में होने पर कोई भी वास्तविक पात्र हितग्राही योजना के हितलाभ से वंचित नहीं रहेगा। यह सुनिश्चित किया जा सकेगा। एक ही साथ सभी हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध हो तो पूर्व में दिये गये हितलाभ की समीक्षा आसान होगी।

संवाद में हितम पंजी का मूल उद्देश्य हितग्राही की किसी योजना में पात्रता, अपात्रता का प्रमाणीकरण कर हितलाभ दिलवाना है। इसका सर्वाधिक प्रभावशाली पहलू यह है कि किसी भी व्यक्ति की पात्रता/अपात्रता के प्रमाणीकरण की पुष्टि वाचन के दौरान ग्राम सभा द्वारा भी की जावेगी, जो योजनाओं के भागीदारी परक क्रियान्वयन का मूल होगा।

शासन को योजनाओं के क्रियान्वयन में जो सबसे बड़ी बाधा सामने आती है वे हैं लोगों का योजनाओं के प्रति जागरूक न होना, जानकारी न होना तथा हमारे तंत्र का बहुधा प्रतिक्रियात्मक Reactive होना। यदि किसी व्यक्ति को किसी योजना में लाभ चाहिए तो वह अपनी पात्रता को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों, विहित प्रारूप के आवेदन में विभाग को आवेदन दे, इसके इस आवेदन के फलस्वरूप प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही विभाग द्वारा की जाती है तथा पात्रता/अपात्रता के परीक्षण उपरांत योजना का लाभ दिया जाता है। यानि यदि कोई व्यक्ति किसी योजना में पात्र है, योजना प्रचलन के सालों बाद भी लाभ से वंचित है क्योंकि उसने आवेदन नहीं किया है, तो विभाग की जिम्मेदारी नहीं। ऐसी दशाओं में हमारा कार्यालयीन जवाब भी यही होता है कि आवेदक ने आवेदन ही नहीं किया इसलिये लाभ नहीं दिया गया।

जहां तक पात्र व्यक्ति को हितलाभ देने का प्रश्न है, होना यह चाहिए कि System Proactive हो। अनपढ़, निरक्षर जानकारी के अभाव के कारण, जागरूक न होने से या अन्य किसी कारण से यदि किसी योजना में कोई पात्र व्यक्ति शेष है तो यह तंत्र System की जिम्मेदारी व दायित्व है कि उसका चिन्हीकरण हो, पात्रता/अपात्रता का प्रमाणीकरण हो और उसे यथेष्ट लाभ मिले। संवाद के माध्यम से उठाया कदम, हितम पंजी का संधारण इसी दिशा में एक प्रयास है। ये ऐसा ही है कि कहा जाता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआ प्यासे के पास नहीं जाता। इस प्रोएक्टिव एप्रोच में भी प्यासा ही कुएं के पास जा रहा है, यस परिवर्तन सोच का है। विभाग/क्रियान्वयन एजेंसी का प्रयास होना चाहिए कि वह हितलाभ से वंचित पात्र हितग्राही रूप कुएं को ढूँढ़कर उसे हितलाभ देकर अपनी प्यास बुझा सके और यह प्रयास हमेशा रहना चाहिए। कुएं होने का दंभ छोड़ तथा प्यासे होने की ललक पैदा करने पर ही Proactive सोच के साथ क्रियान्वयन संभव है। हितम पंजी में प्रत्येक व्यक्ति की प्रविष्टि कर प्रत्येक हितग्राही मूलक योजना में पात्रता का परीक्षण कर पात्र (✓) अपात्र (x) पात्र एवं पूर्ति (✓) अंकित करना है। जहां एक साथ पूर्ति संभव नहीं है, वहां प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर सूची ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

3. प्रहरी (PRAHARI- Participatory Review Aimed at Holistic Assessment of Regularity Initiative)

संवाद का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है प्रहरी। प्रहरी से आशय है सेवा प्रदाय क्षेत्रों व अन्य शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में ग्राम सभा में अनुश्रवण करना, फीड बैक तथा नियमों के अनुक्रम में सेवा प्रदाय की जा रही है, इसका पहरेदार ग्रामीणों को ही नियुक्त करना। परन्तु इस सबका मूल प्रयोजन सेवा में सुधार होना चाहिए। इस सबका प्रयोजन केवल दंडात्मक कार्यवाही या किसी की सामूहिक बेइज्जती करना न हो। इस संबंध में ग्राम सभा से ही निम्न बिन्दुओं पर अभिमत लिया जा सकता है।

क्या ग्राम सभा अमुक सेवा या योजना क्रियान्वयन से संतुष्ट है। यदि कोई सेवा प्रदाय नहीं की जा रही है या मानक स्तर की नहीं है तब भी ग्राम सभा से ही यह अभिमत लिया जाना चाहिए कि अमुक चूक के लिये जिम्मेदार व्यक्ति पर क्या कार्यवाही की जावे (दंडात्मक या चेतावनी) अभिमत को सेवा का स्वरूप, नियम व क्या कमी पाई गई का उल्लेख करते हुये ग्राम सभा की कार्यवाही विवरण में दर्ज करना चाहिए तथा विभाग को गलती सुधारने के निर्देश देने व इसी बिन्दु पर अगली ग्रामसभा में समीक्षा करने का उल्लेख करना चाहिए। यह वस्तुतः वास्तविक Social audit and participative review होगा क्योंकि इससे सेवा देने वाले विभाग / कर्मचारी की जवाबदेही ग्रामसभा की ओर बढ़ेगी और वास्तव में सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम की राह में हम कदम आगे बढ़ पायेंगे ग्राम सभा स्वयंमेव Empowered होगी और Sensitised भी जो समावेशी विकास का अंतिम लक्ष्य होगा तथा जो सबसे अच्छा अनुश्रवण होगा।

जहां तक दंडात्मक कार्यवाही को प्रथम लक्ष्य न बनाये जाने का प्रश्न है तो इसका कारण यह है कि यदि किसी छोटे जिले को ही लिया जावे तो उसमें लगभग 2000 स्कूल, 2500 आंगनवाड़ी, 400 पीडीएस दुकान, 3000 मध्याह्न भोजन समूह, 1000 आशा, एएनएम, आदि के माध्यम से सेवायें प्रदाय की जा रही हैं। जिसका सीधा सरोकार आम लोगों से है। ऐसे में रोज इतनी सेवाओं की मानीटरिंग या पर्यवेक्षण शासकीय अमले से किया जाना आसान नहीं। यही कारण है कि तीन साल की तैनाती में सीडीपीओ, डीपीओ, अपने सारे केन्द्र भ्रमण नहीं कर पाते, ऐसे में केन्द्र खुल रहा है, समूह भोजन दे रहा है, मीनू से दे रहा है, पीडीएस मिल रहा है, इसका कोई सर्वोत्तम अनुश्रवण कर सकता है तो वह प्रहरी ग्रामसभा है, आम हितग्राही है।

जहां तक विभागीय सुपरवाइज विजिट या निरीक्षण का प्रश्न है वह पृथक् से किये जा सकते हैं, किये जाने चाहिए और यदि कोई सुधार परिलक्षित नहीं होता तो कार्यवाही होना चाहिए और उसमें निरीक्षण टीप के साथ संवाद ग्राम सभा में इस संबंध में दिये गये निर्देश व ग्राम सभा की कार्यवाही को भी जांच में शामिल कर पुख्ता कार्यवाही होना चाहिए। प्रत्येक शासकीय सेवक द्वारा गांव में जो कार्य किया जाता है, उस संबंध में लघु प्रस्तुतीकरण एवं किन प्रकार के सहयोग गांव के लोगों से योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित है, यह सार्वजनिक रूप से बताने के लिये भी इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं।

4. युवा (YUVA- YUVA UNITED FOR VALUE ADDITION)

युवा वह है जो सीखने के तैयार है एवं अपना मूल्य संवर्धन के इच्छुक है। इसमें उम्र का बंधन नहीं है। कोई 18 साल में युवा के दायरे से बाहर हो सकते हैं, तो कोई 81 साल में कुछ नया सीखने के लिए तत्पर हो सकते हैं। आपसी जुटाव से मूल्य संवर्धन सामाजिक पहल के माध्यम से ही होना है। विभिन्न सामाजिक पहल जैसे स्वच्छता, नशामुक्ति, पर्यावरण बचाना, पुस्तकपरायण आदि इसमें सम्मिलित मान सकते हैं एवं संवाद कार्यक्रम के दौरान इस बिन्दु पर विशेष प्रयास कर सकते हैं, कि सामाजिक पहल से मूल्य संवर्धन हो इसमें कोई शासकीय धन राशि का खर्च परिकल्पित नहीं है मात्र सामाजिक साझेदारी से ही समाज को आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने पर जोर है।

5. उत्तरा (Universal Timely and Transparent Handling of Applications and Responses-to-Applications)

प्रायः यह पाया गया है कि जनता द्वारा कार्यक्रमों / सभाओं में अपनी मांगों, सुझावों अथवा शिकायतों के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी प्रकार 'संवाद' अंतर्गत क्लस्टर / सेक्टर मिटींग में भी कई आवेदन पत्र जनता से क्षेत्रीय मांगों, सुझावों एवं शिकायतों के संबंध में प्राप्त होते हैं। इन आवेदन पत्रों से समयबद्ध समुचित निराकरण तथा किए गए निराकरण की जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराये जाने हेतु 'उत्तरा' का निर्माण कर उपयोग किया जा रहा है। जिसके तहत क्लस्टर / सेक्टर मिटींग में एक निर्दिष्ट व्यक्ति यथा ग्राम रोजगार सहायक / पटवारी द्वारा आवेदन पत्र पंजी में संधारित किए जाते हैं। उक्त आवेदन पत्रों में से ग्राम पंचायत / पटवारी स्तर के आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत / पटवारी के कार्यालय के नाम पर 'उत्तरा' पोर्टल पर इन्द्राज किया जाता है। इसी प्रकार तहसील / ब्लॉक / अनुविभाग / जिला स्तरीय कार्यालयों से संबंधित

आवेदन पत्र "उत्तरा" पोर्टल पर संबंधित कार्यालयों के नाम पर दर्ज होते हैं। "उत्तरा" पोर्टल में आवेदक को आवेदन पत्र पंजीयन, आवेदन पत्र की कार्यवाही तथा निराकरण की जानकारी एसएमएस के माध्यम से सतत रूप से उपलब्ध कराया जाना की व्यवस्था सन्निहित है। इसी प्रकार आवेदक अपने आवेदन की संपूर्ण कार्यवाही www.uttara.nic.in पर Know Your Application Status लिंक का प्रयोग कर कहीं भी एवं कभी भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अधिकारियों / कर्मचारियों एवं कार्यालयों द्वारा की जाने कार्यवाहियों में समयबद्धता एवं पारदर्शिता लाई जा सकती है।

उपरोक्त पांचों बिन्दुओं पर आधारित संवाद कार्यक्रम निरंतरता से करने के लिये एवं इसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु अपने तरफ से भी भागीदारी के लिये प्रार्थना है।

समूह आधारित सुविधा दल (Cluster facilitation team)

समस्त निर्धारित ग्राम पंचायतों में प्रातः 10 बजे से ग्राम संवाद आयोजित करने के उपरान्त सभी सचिव (CLUSTER / SECTOR) क्लस्टर / सेक्टर मुख्यालय में मीटिंग के लिए निर्धारित स्थान पर 4 बजे एकत्रित होंगे तथा जिला अधिकारी वहां ग्रामीणों के समक्ष ही सचिव के द्वारा ग्राम पंचायतों में की गई कार्यवाही के मुख्य बिन्दुओं के बारे में सुनेंगे एवं आवश्यकता अनुसार संबंधित जिला अधिकारी कार्यवाही भी करेंगे।

नगरीय क्षेत्र में संवाद कार्यक्रम निर्धारित दिवसों में सुबह 07 से 09 तक संलग्नक अ अनुसार एवं ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से 03 बजे तक संलग्नक ब अनुसार आयोजित किया जाता है।


(शशाक मिश्रा)

कलेक्टर,
जिला सिंगरौली, म.प्र.